राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर

(मार्केटिंग अनुभाग)

नवजीवन सहकारी बाजार, भवानी सिंह रोड़, जयपुर – 302005

दूरभाष नं. : 0141–2223615, ई–मेल : mgrmktgconfed@gmail.com

जीएसटी नं. 08AABFR3362D1ZH

बिड प्रपत्र

बिड शुल्क : 1180.00 जीएसटी सहित	बिड प्रपत्र संख्या :	जारीकर्ता के हस्ताक्षर

- बिड जमा कराने की अन्तिम तिथि 19.06.2023 समय : दोपहर 1:00 बजे तक
- बिड खोलने की तिथि 19.06.2023 समय : दोपहरः 3:00 बजे

बोलीदाता का नाम/संस्था/फर्म : ....

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., मार्केटिंग अनुभाग जयपुर के गोदामों से जयपुर शहर स्थित विभिन्न उपहार विक्रय केन्द्रो तथा जयपुर से बाहर छात्रावासों/संस्थाओं में ग्रोसरी एवं कॉस्मेटिक्स आईटमों की सप्लाई के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन (हल्के चार पहिया वाहन) मय वाहन चालक उपलब्ध करवाने हेतु आमंत्रित बिड की शर्तें व नियमों तथा कार्य विवरण को मैंने/हमने भली भांति पढ लिया है एवं **मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा इसके लिये मैं/हम निम्न दरें बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अनुरूप देते है :–**

(A) उपलब्ध करवाये जाने वाले लोडिंग वाहन का विवरण व दरें :–

क्र.सं.	वाहन का विवरण	विवरण एवं दरें
1	गाडी का प्रकार	
2	गाडी का मैक/मॉडल	
3	गाडी की क्षमता (न्यूनतम 2 टन)	
4	गाडी का रजिस्ट्रेशन नं.	
5	गाडी का किराया (परिचालन प्रतिमाह 2200 कि.मी. तक) जीएसटी नियमानुसार पृथक से दर्शाई जाये	
	मासिक दरे (अंकों में)	
	मासिक दरे (शब्दों में)	
6	गाडी का किराया (परिचालन प्रतिमाह 2200 कि.मी. के पश्चात्)	
	दर प्रति किलोमीटर (अंकों में)	
	दर प्रति किलोमीटर (शब्दों में)	

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर

(मार्केटिंग अनुभाग)

नवजीवन सहकारी बाजार, भवानी सिंह रोड़, जयपुर – 302005

दूरभाष नं. : 0141–2223615, ई–मेल : mgrmktgconfed@gmail.com

जीएसटी नं. 08AABFR3362D1ZH

(B) बोली प्रतिभूति राशि का डीडी संलग्न करें :

क्र.स.	बोली प्रतिभूति राशि	बैंक का नाम	डी.डी. संख्या	दिनांक

(C) अन्य विवरण

1. आयकर अधिनियम द्वारा जारी शोध प्रमाण–पत्र मय सर्किल एवं विवरण ....
2. बोलीदाता पंजीकृत ट्रांसपोर्ट / कम्पनी / सोसयटी हो, तो उसका विवरण ....
3. जीएसटी नं. ....
4. उक्त कार्य का पूर्व अनुभव का विवरण, यदि कोई हो, तो मय प्रमाण–पत्र के संलग्न करें ....
5. बोलीदाता का टेलिफोन एवं मोबाईल दूरभाष नम्बर ....

<u>विशेष नोट</u> :–

1. उक्त बोली आवेदक बोलीदाता द्वारा निर्धारित बिड प्रपत्र में सीलबन्द लिफाफे में ही दी जानी है। बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन एवं अनुभव प्रमाण–पत्र बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. बोली जमा कराने की अन्तिम दिनांक 19.06.2023 दोपहर 1:00 बजे तक है।
3. बोली दिनांक 19.06.2023 को ही दोपहर 3.00 बजे बिड समिति एवं उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
4. बोली के साथ राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, मार्केटिंग अनुभाग के गोदामों से जयपुर शहर स्थित विभिन्न उपहार विक्रय केन्द्रो तथा जयपुर एवं जयपुर से बाहर छात्रावासों / संस्थाओं में ग्रोसरी एवं कॉस्मेटिक्स आईटमों की सप्लाई व अन्य कार्यो के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन (हल्के चार पहिया वाहन) उपलब्ध करवाने संबंधी कार्य की अनुमानित लागत लगभग 5.00 लाख रुपये के लिए बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत का राशि रूपये 10,000.00 का डी.डी. बोलीदाता को अपनी बोली के साथ **"Rajasthan State Cooperative Consumer Federation Ltd." Payable at Jaipur** के नाम जमा करानी होगी।
5. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी। प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक होगा।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर

(मार्केटिंग अनुभाग)

नवजीवन सहकारी बाजार, भवानी सिंह रोड़, जयपुर – 302005

दूरभाष नं. : 0141–2223615, ई–मेल : mgrmktgconfed@gmail.com

जीएसटी नं. 08AABFR3362D1ZH

मार्केटिंग अनुभाग के गोदामों से जयपुर शहर स्थित विभिन्न उपहार विक्रय केन्द्रो तथा जयपुर एवं जयपुर से बाहर छात्रावासों/संस्थाओं में ग्रोसरी एवं कॉस्मेटिक्स आईटमों की सप्लाई व अन्य कार्य के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन (हल्के चार पहिया वाहन) उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक अनुबंध की शर्ते :–

1. बोलीदाता ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु पंजीकृत फर्म/कम्पनी/संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिए, इसका प्रमाणिक अभिलेख बोली के साथ संलग्न करना होगा।
2. बोलीदाता के पास स्वयं/फर्म के नाम से पंजीकृत वाहन होना आवश्यक है तथा बोलीदाता का कार्यालय जयपुर में होना आवश्यक है (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी)।
3. बोलीदाता साझेदारी फर्म की स्थिति में उक्त बिड प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में फर्म के प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत करने की स्थिति में पॉवर ऑफ अॅटार्नी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बिड स्वीकृति के पश्चात् बोलीदाता के संविधान में कोई परिवर्तन बोलीदाता के पूर्व सदस्यों के अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबन्ध के वाहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करें तब तक कोई नया साझेदार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. बोलीदाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही बिड भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपना अधिकृत पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाया जाने वाला वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का किराया 2200 किलो मीटर प्रतिमाह न्यूनतम रनिंग मानते हुए मासिक किराया दर बिड में अंकित करनी होगी एवं न्यूनतम रनिंग के पश्चात् की दरें प्रति किलोमीटर के अलग से अंकित करनी होगी। किसी माह में वाहन 2200 किलोमीटर से कम चलने पर शेष किलोमीटर अगले आगामी माहों में निरन्तर समायोजित किया जावेगा, जैसे किसी माह में वाहन 2000 किलोमीटर चला एवं अगले माह में 2400 किलोमीटर चला तो उसे केवल 2200 किलोमीटर का ही भुगतान जावेगा ना कि 200 किलोमीटर का अतिरिक्त । न्यूनतम परिचालन 2200 किलोमीटर की दर एवं न्यूनतम परिचालन से अधिक चलने पर दर प्रति किलोमीटर में पृथक – पृथक बोलीदाताओं के न्यूनतम होने पर समेकित हाईब्रिड फार्मूला के अनुसार 2500 किलोमीटर के हिसाब से गणना करने पर जो न्यूनतम होगा, उसे सफल निविदादाता घोषित किया जा सकेगा।
6. बोलीदाता द्वारा बिड में दी गई दरें अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के लिये मान्य होगी जो आपसी सहमति से इस अवधि को नियमानुसार विस्तारित किया जा सकेगा।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)

नवजीवन सहकारी बाजार, भवानी सिंह रोड़, जयपुर – 302005

दूरभाष नं. : 0141–2223615, ई–मेल : mgrmktgconfed@gmail.com

जीएसटी नं. 08AABFR3362D1ZH

7. बोलीदाता द्वारा लोडिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन तथा वाहन के उपयोग में होने वाले समस्त खर्चे यथा–डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ड्राईवर का वेतन, मरम्मत व वाहन का बीमा आदि वहन करने होंगे। टोल टैक्स का वास्तविक व्यय टोल पर्ची उपलब्ध कराने पर संघ द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा।

8. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन एवं वाहन चालक द्वारा कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। संघ का कोई प्रभार या उत्तरदायित्व नहीं होगा । कॉनफैड के माल की क्षतिपूर्ति बोलीदाता को करनी होगी ।

9. बोलीदाता को अपना वाहन अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिवस को (राजपत्रित अवकाश एवं रविवार सहित) प्रातः 9 बजे से सांय 8 बजे तक उपलब्ध कराना होगा। किसी दिन वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार प्रतिदिन की कटौती कर ली जावेगी। साथ ही अन्य कोई वाहन बाजार से किराये पर लेकर कार्य किया जाता है, तो अन्तर की राशि की वसूली बोलीदाता से की जावेगी। निर्धारित समय में विलम्ब से वाहन उपलब्ध कराने पर आनुपातिक कार्य समय के आधार पर विलम्ब शुल्क 100/– प्रति घन्टे की दर से बिल में से कटौती की जावेगी।

10. बोलीदाता को सामान की सुरक्षा के लिये धूप/वर्षा से बचाव की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी अन्यथा इस कारण संघ को माल संबंधी होने वाली समस्त हानि का दायित्व बोलीदाता का होगा।

11. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाला वाहन पूर्णतः रनिंग कण्डीशन में होना चाहिए एवं बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन से संबंधित निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां बिड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

    1) वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (इकरारनामा स्वीकार्य नहीं होगा)
    2) परमिट
    3) वैध ड्राईविंग लाईसेंस
    4) बीमा के प्रपत्र
    5) प्रदूषण प्रमाण–पत्र
    6) फिटनेस प्रमाण–पत्र

    तकनीकी मूल्यांकन के समय उक्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही बोलीदाता को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया जावेगा। वाहन चालक के लाईसेंस की प्रति कार्यादेश के समय जमा करानी होगी साथ ही मूल लाइसेंस भी दिखाना होगा।

12. सफल बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत जमा करानी होगी जिसमें पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राशि समायोजित करते हुये शेष 3 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 15,000/– रु. का डी.डी. "Rajasthan State Cooperative Consumer Federation

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)

Ltd." Payable at Jaipur के नाम से जमा करवाना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमा की गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

13. बोलीदाता को अपना बिल भुगतान हेतु प्रति माह प्रिन्टेड बिल मय वाहन नम्बर सहित प्रस्तुत करना होगा, जिस पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी तथा बोलीदाता को सर्विस टैक्स देय (जीएसटी) जमा करवाकर चालान की प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा सर्विस टैक्स (जीएसटी) देय नहीं होने पर बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र संघ को बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

14. बोलीदाता द्वारा कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जाने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कार्य करवाने के लिये स्वतंत्र होगा तथा हर्जे–खर्चे की राशि बोलीदाता के बिल/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूल की जा सकेगी। फिर भी कोई राशि बकाया रहती है, तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति से वसूली की जा सकेगी।

15. बोलीदाता को आयकर पैन नम्बर, जीएसटी नम्बर, टेन नम्बर की प्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

16. बोलीदाता को दैनिक रूप से वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉग–बुक संघ द्वारा अनुमोदित प्रारूप में भरनी होगी, जिसे ग्रोसरी एवं कॉस्मेटिक गोदाम इंचार्ज से प्रति दिन प्रमाणित करवाना होगा। गोदाम इंचार्ज के बिना प्रमाणीकरण के यह समझा जायेगा कि वाहन का प्रयोग बोलीदाता द्वारा स्वयं के लिए किया गया है।

17. निर्धारित समय, तिथि के पश्चात् बिड एवं बिना बोली प्रतिभूति राशि के प्राप्त बिड मान्य नहीं होगी ।

18. बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक, कॉनफैड, जयपुर के पास सुरक्षित होगा।

19. श्रम एवं औद्योगिक कानून एवं परिवहन नियम के अधीन समस्त प्रकार के वैधानिक दायित्वों का पालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

20. अनुबन्ध की समयावधि दो वर्ष तक की होगी । बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध का निष्पादन 500/– (अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा। बोलीदाता का कार्य सन्तोषजनक रहने पर अनुबंध अवधि नियमानुसार आपसी लिखित सहमति से बढ़ाई जा सकेगी । संघ द्वारा बोलीदाता का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध को अनुबन्ध अवधि के दौरान ही समाप्त किया जाता है, तो बोलीदाता की जमा कार्य सम्पदा प्रतिभूति राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)

नवजीवन सहकारी बाजार, भवानी सिंह रोड़, जयपुर – 302005

दूरभाष नं. : 0141–2223615, ई–मेल : mgrmktgconfed@gmail.com

जीएसटी नं. 08AABFR3362D1ZH

21. बोलीदाता को The Motor Vehicle (Amendment) Act 2019 (दि मोटर व्हीकल (अमेन्डमेंट) एक्ट 2019) एवं समय–समय पर होने वाले संशोधन की पालना करनी होगी। इस संबंध में सभी शर्तो की पूर्ति करने हेतु स्वयं घोषणा पत्र देना होगा।

22. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन पर वाहन चालक द्वारा अभद्रता, अनुशासनहीनता तथा अन्य आपत्तिजनक व्यवहार करने पर उन्हें तुरन्त लौटा दिया जायेगा एवं वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघ का कोई दायित्व नहीं होगा। बोलीदाता को तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी एवं बोलीदाता द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वाहन चालक/वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संघ अपने स्तर से वाहन चालक/वाहन की व्यवस्था करेगा, जिसका समस्त प्रकार का दायित्व बोलीदाता का होगा। उक्त दायित्व की वसूली बोलीदाता के प्रस्तुत बिलों से कर ली जावेगी।

23. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के नशे/संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा तथा बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये संदिग्ध वाहन चालक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा। वाहन चालक वाहन का उपयोग गोदामकीपर/प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार ही करेगा।

24. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के कार्य उपयोग की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी एवं माल हानि होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। चोरी एवं माल हानि होने की स्थिति में संघ बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूली कर सकेगा एवं बकाया रहने पर संघ बोलीदाता से नियमानुसार वसूली कर सकेगा।

25. बोलीदाता द्वारा टेण्डर कार्य को सबलेट नहीं किया जायेगा तथा उसे इस बाबत स्वयं का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

26. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक को संघ का कर्मचारी नहीं माना जावेगा एवं इन्हें संघ की ओर से किसी प्रकार का वेतन देय नहीं होगा। बिड राशि का भुगतान बोलीदाता को नियमानुसार चैक द्वारा किया जा सकेगा।

27. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 2 की धारा 7 के अन्तर्गत बोली लगाने वालों की अर्हताऐं के उप बिन्दु 2 के अन्तर्गत –

    (ग) बोली लगाने वाला दिवालिया, रिसीवर के अधीन शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलम्बित

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)

रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक् कायवाहियों के अध्यधीन होगा ;

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है ;

(ड़) ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप में प्रभावित करें ;

28. संघ में कार्यरत प्रत्यक्ष या परोक्ष अधिकारी/कार्मिक (नियमित /संविदा/आउटसोर्स) बिड में भाग नहीं ले सकेंगे।

29. बोलीदाता को कॉनफैड की नॉमिनल सदस्यता लेनी होगी।

30. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता के नियम 2013 के नियम 83 के तहत प्रथम अपील प्राधिकारी प्रबंध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रशासक/अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर।

31. विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

उपरोक्त निविदा से संबंधित शर्ते मैनें/हमने पढ़ ली हैं और यह शर्ते मुझे/हमें स्वीकार हैं।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)